भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4139
उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

एआई/एमएल आधारित यूसीसी डिटेक्ट प्रणाली

4139. श्री यदुवीर वाडियारः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के हालिया निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों की प्रतीक्षा किए बिना अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) की सक्रिय रूप से पहचान करने और उन्हें चिह्नित करने के लिए एआई/एमएल-आधारित यूसीसी डिटेक्ट प्रणालियों की अनिवार्य उपयोग के संबंध में सभी एक्सेस सेवाप्रदाताओं (एएसपी) द्वारा इसके अनुपालन की स्थिति क्या है;

(ख) साझा वितरण लेजर प्रौद्योगिकी (डीएलटी) ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पर एआई द्वारा चिह्नित स्पैम आसूचना को साझा करने के लिए 2 घंटे की सख्त वास्तविक समय-सीमा का सेवाप्रदाताओं द्वारा सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु स्थापित तकनीकी मूल्यांकन मानकों और संपरीक्षा प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 'दस दिनों में चार उल्लंघन' के नए एआई प्रवर्तन नियम के तहत ऐसे अनिबंधित टेलीमार्केटर्स (यूटीएम) और बार-वार उल्लंघन करने वाले कॉर्पोरेट संस्थाओं की संख्या कितनी है, जिनके दूरसंचार संसाधनों को अवरुद्ध, निलंबित या ब्लैकलिस्ट किया गया है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (ग) वॉयस कॉल या एसएमएस, अथवा दोनों के माध्यम से, अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित प्रणालियों

को चार प्रमुख एक्सेस सेवा प्रदाताओं अर्थात् मेसर्स भारती एयरटेल लिमिटेड, मेसर्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, मेसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, और मेसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

वर्तमान में एक्सेस प्रदाता ईमेल के माध्यम से एक दूसरे के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित स्पैम इंटेलिजेंस साझा कर रहे हैं। हालाँकि, संदिग्ध स्पैम की कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित पहचान, अपने आप में, यूसीसी का निर्णायक प्रमाण नहीं है। तदनुसार, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, इस तरह के फ्लैगिंग का उपयोग संदिग्ध प्रेषकों के खिलाफ संबंधित एक्सेस प्रदाताओं द्वारा आगे की जांच शुरू करने के लिए किया जाएगा।

अगर किसी प्रेषक से जुड़ी पांच या अधिक कॉलिंग लाइन आइडेंटिटी (सीएलआई) को, दस दिनों की अवधि के भीतर संदिग्ध यूसीसी सीएलआई के रूप में चिह्नित किया जाता है, तो एक्सेस प्रदाता को प्रेषक के अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) विवरण का पुनः सत्यापन कराने और मौजूदा केवाईसी दिशानिर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है। बार-बार उल्लंघन के मामलों में, एक्सेस प्रदाता को संदिग्ध प्रेषक का भौतिक केवाईसी सत्यापन करना और यह जांचना भी आवश्यक है कि यूसीसी भेजने के लिए दूरसंचार संसाधनों का दुरुपयोग नहीं किया गया है। यदि प्रेषक को यूसीसी के लिए दूरसंचार संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, तो दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित दूरसंचार संसाधनों पर आउटगोइंग सेवाओं को प्रतिबंधित या डिस्कनेक्ट करना तथा प्रेषक को ब्लैकलिस्ट करना अनिवार्य है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा तैनात किए गए कृत्रिम बुद्धिमता-आधारित स्पैम फ़्लैगिंग सिस्टम उपभोक्ताओं को संदिग्ध स्पैम संचारों को अनदेखा करने या अपने विवेकानुसार उन्हें जवाब देकर सावधानी बरतने में भी सक्षम बनाते हैं। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने स्पैम भेजने की उच्च संभावना वाले संदिग्ध संस्थाओं को चेतावनी सूचना जारी करना शुरू कर दिया है। दिनांक 23 जून 2026 को इस पहल की शुरुआत के एक सप्ताह के भीतर संदिग्ध प्रेषकों को 2.43 लाख से अधिक चेतावनी सूचनाएं जारी की गईं।
